

## आधार पूरी तरह सुरक्षित

नई दिल्ली, (भाषा): सरकार ने आज विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) आधार को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित एवं जवाबदेह बताते हुए कहा कि यह न केवल बेहतर प्रशासन में मददगार साबित हुआ है बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी सहायता मिली है।

आधार के कार्यान्वयन और उसके

प्रभाव पर राज्यसभा में भोजनावकाश के पश्चात हुयी अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए अनिवार्य बनाए जाने

के बाद पात्र व्यक्तियों को सब्सिडी का पूरा लाभ मिला है और अपात्र व्यक्ति इससे दूर हुए हैं। प्रसाद ने कहा कि आधार से पहले, लीकेज के जरिये अपात्र व्यक्ति सब्सिडी का लाभ लेते थे और पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाते थे। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है। जांच के बाद वहां 30 से 40 फीसदी बच्चों की संख्या और शिक्षकों की 20 फीसदी संख्या कम हो गई। यह संख्या इसलिए कम हुई क्योंकि इन बच्चों और शिक्षकों का अस्तित्व ही नहीं था जबकि इनके नाम पर लाभ लिया जाता था। उन्होंने कहा कि मनरेगा में, डीबीटी में, एलपीजी में, पेंशन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अपात्र व्यक्तियों ने लाभ लिया और पात्र व्यक्ति वंचित रह गए। आधार की वजह से इस पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों ने जो लाभ लिया वह विकास कायो' के लिए करदाताओं से मिली राशि थी।

**कानून**  
**मंत्री का दावा-**  
**अब पात्र व्यक्तियों को**  
**मिल रहा है सब्सिडी**  
**का पूरा लाभ**